आदेश की क्रम- संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ
3-7-15	**न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, जहानाबाद** **वाद संख्या–01 / डी0एम0 / 2015** **सरकार वनाम अवधेश पासवान एवं अन्य** **आदेश** यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक–338 / आ0, दिनांक–05.02.2015 के साथ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक–52, दिनांक–02.02.15 संलग्न प्रतिवेदन के आधार पर किया गया है। उक्त पत्र के अनुसार दिनांक–01.02.15 को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–7 के अन्तर्गत अवधेश पासवान, जन वितरण प्रणाली विक्रेता (अनु0सं0–02 / 2007) ग्राम पंचायत–नौरू, प्रखंड–जहानाबाद के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी जिसमें 14 बोरे में कुल 07 क्विंटल गेहूं टेम्पू (ऑटो) संख्या–बी0आर0–25पी0–6687 के द्वारा जहानाबाद लाया जा रहा था जिसे जप्त किया गया जिसका थाना कांड सं0–48 / 15 दिनांक–01.02.15 दर्ज किया गया। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जहानाबाद ने जप्त 07 क्विंटल गेहूं एवं टेम्पू (ऑटो) संख्या–बी0आर0–25पी0–6687 को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–6 (ए) के तहत अधिहरण करने की अनुशंसा की गई है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जहानाबाद के द्वारा नगर थाना, जहानाबाद में प्राथमिकी सं0–48 / 15 दिनांक–01.02.15 दर्ज करवाया है जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक–01.02.15 को 9 बजे पूर्वाह्न में सूचना के आधार पर नौरू पंचायत से जहानाबाद शहर की ओर टेम्पू (ऑटो) संख्या–बी0आर0–25पी0–6687 के द्वारा लाया जा रहा था। जप्त गेहूं को नगर थाना के उपस्थिति में मौका ए वारदात पर पहुंचकर जांच–पड़ताल किया गया। जांच–पड़ताल के क्रम में टेम्पू (ऑटो) संख्या–बी0आर0–25पी0–6687 पर चौदह प्लास्टिक बोरा में गेहूं पाया गया। जो हाथ सिलाई किया हुआ था। टेम्पो (ओटो) चालक गुड्डु कुमार उर्फ नीरज से पूछताछ तथा लिखित् ब्यान लिया गया। चालक ने ब्यान में बताया कि यह गेहूं अवधेश पासवान, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत–नौरू का है जिसने अजय के गोला जहानाबाद लेकर चलने का कहा है। चालक के ब्यान से स्पष्ट है कि यह गेहूं अनुदानित है जिसे जन वितरण प्रणाली के माध्यम से लाभूकों के बीच वितरण किया जाता है जिसे कालाबाज़ारी के नीयत से बाजार में विक्री हेतु ले जाया जा रहा है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–3 के अन्तर्गत निर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 के कंडिका–6 (4) का उल्लंघन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। टेम्पू (ऑटो) संख्या–बी0आर0– 25पी0– 6687 के साथ 14 (चौदह) प्लास्टिक बोरे प्रत्येक बोरी में 50 किलो रखे गेहुं कुल–07 क्विंटल तीन स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में जप्त कर जप्ती सूची बनाकर अगले आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु एहतेशाम खुर्शीद, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, वार्ड–27 नगर परिषद, जहानाबाद को जिम्मेनामा पर दिया गया तथा टेम्पू (ऑटो) संख्या–बी0आर0–25पी0–6687 नगर थाना, जहानाबाद को प्रदर्श के रूप में सुरक्षित रखने हेतु दिया गया। हिरासत में लिये गये टेम्पों चालक गुड्डू कुमार उर्फ नीरज को आवश्यक कार्रवाई हेतु थाना को सुपूर्द किया गया।	